निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

संख्या 827 /निदे0स0क0/स्था0–2025–26 दिनांक– 10-6-25

नोडल अधिकारी,
आई0टी0सैल।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम ,2017 के क्रम में समाज कल्याण विभाग में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों के वर्ष 2025 में किये गये स्थानान्तरण आदेश इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि उक्त आदेशों को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोक्त 8 पृष्ठ

(कमलेश भण्डारी)
मुख्य वित्त नियंत्रक
नोडल अधिकारी स्थापना

–आदेश–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII–4/ 2015–2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
	श्री हरदेव सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण उत्तरकाशी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंहनगर।	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
2	श्री दीपक जोशी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
3	श्री यतेन्द्र सिंह राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण ऊधमसिंहनगर	कार्यालय जिला समाज कल्याण उत्तरकाशी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
4	श्री तारा सिंह	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

संख्या 826 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2025–26 दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
10/6

– आदेश –

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII–4/ 2015–2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायकों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री सयन सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
2	श्री लोकेश सनवाल	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
3	श्रीमती लक्ष्मी गोस्वामी	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
4	श्री रोहित प्रकाश	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

संख्या 825 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2025–26

दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

10/6

– आदेश –

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvII–4/ 2015–2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित छात्रावास अधीक्षकों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री प्रदीप कुमार	राजकीय अनु0 जाति छात्रावास पिथौरागढ़	राजकीय अनु0 जाति छात्रावास शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
2	सुश्री पूनम रावत	राजकीय अनु0 जाति छात्रावास शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल	राजकीय अनु0 जाति छात्रावास पिथौरागढ़	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
3	श्री भूपेन्द्र सिंह	राजकीय अनु0 जाति छात्रावास टिहरी	राजकीय अनु0 जाति बालक छात्रावास उत्तरकाशी	धारा 17 (1)(ख) अनुरोध के आधार पर सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

संख्या 823 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2025–26

दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

– आदेश–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII–4/ 2015–2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती माया कन्नौजिया	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
2	श्री आदित्य राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
3	श्री राहुल कुमार	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेतालघाट	धारा 17 (1)(ख) अनुरोध के आधार पर सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

दिनांक 10 जून, 2025

संख्या 822 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2024–25

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
10/6

–आदेश–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvII–4/ 2015–2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीलम बिष्ट	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

संख्या 821 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2024–25 दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
10/6

–आदेश–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII–4/ 2015–2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर जिला समाज कल्याण अधिकारियों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री रवीन्द्र सिंह सामन्त	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
2	श्री किशन सिंह चौहान	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

संख्या 820 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2025–26

दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
10/6

– आदेश –

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII–4/ 2015–2/2018 के कम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ट सहायकों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	सुश्री प्रिया रावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
2	श्रीमती एकता टम्टा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी– नैनीताल।	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
3	सुश्री खुशी कुमरा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
4	श्री राकेश सिंह रावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी– नैनीताल।	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
5	श्री जीवन लाल	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर।	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
6	श्री भूप सिंह	दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्र एवं उत्पादन केन्द्र हल्द्वानी–नैनीताल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली।	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
7	श्री विरेन्द्र लाल	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी।	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
8	श्री भूपाल राम	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रूद्रपुर उधमसिंहनगर	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
9	श्री महेन्द्र सिंह विष्ट	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाईन्स नैनीताल	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सैकोट चमोली।	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
10	श्री धर्मपाल	राजकीय आश्रम पद्धति रूद्रपुर उधमसिंहनगर	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वेतालघाट नैनीताल।	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
11	श्री गोपाल चन्द्र	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
12	श्री यदुवीर सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
13	श्री दीपक गिरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग	निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी– नैनीताल।	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर

उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

संख्या 824 /स0क0/स्था0–3/स्था0–24/2025–26 दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2– सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4– संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
10/6